

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 06/2020 प्रा0पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.10.2020	<p>सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/758 दिनांक 25.08.2020 द्वारा ग्राम अलगवास पटवार हल्का भभाणा तहसील करेड़ा के विलानाम आ0नं0 1 रकवा 48.15 बीघा किस्म वंजड़ में से 2.08 बीघा आ0 नं0 165 रकवा 3.18 में से 2.08 बीघा, आ0नं0 161 रकवा 31.16 में से 0.15 बीघा व आ0 नं0 181 रकवा 35.01 बीघा में से 2.15 कुल किता 4 रकवा 8.06 बीघा भूमि को अलगवास से गुन्दलीखेड़ा मजरा सलफड़ा तक का रास्ता जो मौके पर चालू है जिसके समर्थन में सम्बत् 2072 से 2075 की नकल जमावन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का भभाणा के तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंपा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05.10.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा</p>	
05.10.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की रिपोर्ट/अभिशंपा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">:: आदेश ::</p> <p>अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अलगवास पटवार हल्का भभाणा तहसील करेड़ा के विलानाम खसरा नम्बर 1 रकवा 48.15 बीघा किस्म वंजड़ में से 2.08 बीघा आराजी नं0 165 रकवा 3.18 में से 2.08 बीघा, आराजी नं0 161 रकवा 31.16 में से 0.15 बीघा व आ0नं0 181 रकवा 35.01 बीघा में से रकवा 2.15 कुल किता 4 रकवा 8.06 बीघा भूमि को अलगवास से गुन्दलीखेड़ा मजरा सलफड़ा तक का रास्ता जो मौके पर चालू है को, राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों में, संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट-ए'में वर्णितानुसार कर अमल दरामद की कार्यवाही करे। पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा</p>	